त्रिपुरा राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1972

[27 जुलाई, 1972]

त्रिपुरा विधान-सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने या रहने के लिए निरर्हताओं को हटाने का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तेइसवें वर्ष में त्रिपुरा विधानसभा द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :---

1.संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ---(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम त्रिपुरा राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हता हटाना) अधिनियम, 1972 है ।

(2)इसका विस्तार संपूर्ण त्रिपुरा पर है ।

(3) यह 20 मार्च, 1972 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

2. कतिपय निरर्हताओं का हटाना----कोई व्यक्ति त्रिपुरा विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने या उसके सदस्य होने या रहने के लिए इस तथ्य के कारण निरर्हित न होगा कि वह अनुसूची में विनिर्दिष्ट पदों में से कोई पद धारण करता है, जहां तक कि वह पद [1][भारत सरकार या राज्य सरकार] के अधीन कोई लाभ का पद है ।

अनुसूची

(धारा 2 देखिए)

1. त्रिपुरा सरकार के संसदीय सचिव का पद ।

2. लोक अभियोजक, सरकारी प्लीडर या सरकारी अधिवक्ता का पद ।

3. त्रिपुरा सरकार के राज्यमंत्री और उपमंत्री का पद ।

4. त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्षी दल के नेता का पद ।

5. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा नियुक्त किसी समिति, बोर्ड या प्राधिकारी में, चाहे वह कानूनी हो या अन्यथा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य का पद ।

6. [1][भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई पद, जो मानदेय, भत्तों, वेतन या फीसों के रूप में पारिश्रमिक वाला पूर्णकालिक पद नहीं है] ।

7. प्रादेशिक सेना या राष्ट्रीय कैडेट कोर में धारित कोई पद ।

[1] त्रिपुरा राज्य विधान-मंडल सदस्य (निरर्हताओं को हटाना) संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित ।